षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री प्रकाश राय, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-224) श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री राज किशोर सिंह, स०वि०स० श्री राम बालक सिंह, स०वि०स० श्री नारायण प्रसाद, स०वि०स० डा० सुनील कुमार, स०वि०स०	बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के पास कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिला से होकर झारखण्ड सीमा तक NH-2 सड़क की स्थिति काफी खराब है । वर्णित NH-2 सड़क, NHAI की देख-रेख में है । सड़क में कई स्थान पर पुल क्षतिग्रस्त रहने के कारण गाड़ियों के आवागमन हेतु एक लेन पुल को बंद कर दिया गया है । NH-2 में औरंगाबाद जिला के मदनपुर के रानीकुआँ के पास, गया जिला के शेरघाटी में बुढ़ी नदी, डोभी में जमुने नदी एवं निलाजन नदी में पुल की स्थिति काफी खराब है । साथ ही कई स्थानों पर सड़क भी काफी खराब है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में काफी वृद्धि हुई है । सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन एक-दो लोगों की मृत्यु हो जाती है । अत: जनहित में उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिला के अंतिम छोर झारखण्ड सीमा तक क्षतिग्रस्त पुल एवं सड़क की विशेष मरम्मति कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पथ निर्माण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री जितेंद्र कुमार, स०वि०स०	राज्य में कुल पैक्स की संख्या-8463 है जिसमें 800 से अधिक पैक्स, S.F.C. एवं सहकारिता विभाग की गलत नीतियों के कारण डिफोल्टर हो गये हैं जिससे किसानों के धान, गेहूं सहित अनाजों की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है । साथ ही पैक्स के माध्यम से गरीब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण किसानों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है । अत: राज्य के बंद हो रहे पैक्सों को सरकारी अनुदान देकर पुनर्जीवित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।	सहकारिता

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/19- 910 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/19- 910 / वि०स०, पटना, दिनांक-24 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

24/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
24.7.19